सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
हिमाचल प्रदेश ,ब्लाक संख्या 33, एस.डी.ए. कम्पलैक्स, कसुम्पटी , शिमला–9

विज्ञापन

स्किल अपग्रेडेशन विद जौब /आऊट सोर्सिंग गारंटी योजना के अन्तर्गत

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, Skill Up gradation with Job/Out- sourcing Gaurantee-(SUJOG) के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों /औद्योगिक इकाइयों /संस्थानों में इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सैंट्रल ईस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिकस इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी **(CIPET)** के सहयोग से प्रायोगिक आधार (Pilot Basis) पर प्रशिक्षण तथा तदोपरान्त रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन आमन्त्रित करता हैः–

पात्रता – हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता प्रतिशतता, 40% व उससे अधिक हों, इनके अतिरिक्त ऐसी बेसहारा/परित्यक्ता/विधवा महिलाऐं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो प्रस्तावित विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित आयु 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के मध्य हों तथा जिनके परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हों तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं या इससे अधिक बोर्ड़ /विश्वविद्यालय से, व जिन्होंने मान्यता प्राप्त उद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अन्य कोई व्यवसायिक डिप्लोमा प्राप्त किया हो, पात्र होंगे।

सहायता– प्रशिक्षण हेतू 3500/–रूपये प्रति माह प्रति कोर्स फीस तथा प्रशिक्षणार्थी के रहन सहन (boarding and lodging) हेतु 5000/–रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से मु0 51000/–रूपये विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण उपरान्त सम्बन्धित संस्थान द्वारा 70% से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को अध्यवसाय/औद्योगिक इकाईयों/संस्थानों में रोजगार भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

प्रक्रिया– अभ्यार्थियों का चयन निदेशक''अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले'' हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

संपर्क– निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले/जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी **अधिकारी** या विभागीय वेबसाईट URLwww.himachal.nic.in/soma **ई-मेल** social-hp@nic.in, baddi @cipet.gov.in

दूरभाष नं0 0177-2623006, Fax no. 0177.2629736, मोबाईल नं0 9805096676, 9805096674, से किया जा सकता है।

- इस योजना के अन्तर्गत सैंट्रल ईस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिकस इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी **(CIPET)**(रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग भारत सरकार),नजदीक बायोजेनेटिक कंपनी झाड़माजरी,बद्दी जिला सोलन(हि0प्र0)के माध्यम से द्वितीय बैच में 50 प्रशिक्षणार्थी प्रति ट्रेड की दर से (150 अभ्यार्थियों) को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क.सं.	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रवेश क्षमता (प्रथम बैच)	अन्य विवरण
1.	**इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर (IMMO)**	छः माह	50	प्रशिक्षण के दौरान रिहायश की सुविधा भी उपलब्ध होगी
2.	**प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर (PPMO)**	छः माह	50	–यथा–
3.	**फिल्म एक्सट्रेशन मशीन ऑपरेटर (FEMO)**	छः माह	50	–यथा–

उपरोक्त व्यवसाय में प्रशिक्षण हेतु इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र **दिनांक 25–08–2016,** तक अपने जिला के, जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निम्न दस्तावेजों सहित प्रार्थना–पत्र सादे कागज पर प्रस्तुत करें।

- **1.हिमाचली प्रमाण पत्र / अनु0 जाति/ अनु0 जन जाति/अन्य पिडड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र (जो राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किएं होने चाहिए), 2.विकलांगजन जिनकी विकलांगता 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र, 3. बेसहारा/परित्यक्ता /विधवा प्रमाण पत्र,(जो सचिव ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी (ग्रामीण) व शहरी क्षेत्र में सचिव नगर निगम) द्वारा जारी किया गया हो।, 4.आयु प्रमाण /शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं आधार कॉर्ड इत्यादि।**

निदेशक,
अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले,
हिमाचल प्रदेश

नोटः यह विज्ञापन द्वितीय बैच हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।